वित्तीय दिशा निर्देशन

1. **कार्यक्रम का नाम** – स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण

2. **बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)**
   – स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण

3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
   – 2.1

4. **कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)**
   – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़िकरण हेतु राज्य में 7765 स्वास्थ्य उपकेन्द्रो का सृजन एवं निर्माण कार्य करना है। प्रथम चरण में 3106 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। यह कार्य भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा कराया जाता है।

5. **इकाई राशि (रू० लाख में)**
   – कुल लागत 9.5 लाख (नौ लाख पच्चास हजार रुपया) प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र

6. **वित्तीय दिशा निर्देशन**
   – इस राशि के द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुरूप ही निर्माण कार्य करना है।
   (a) स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा कराया जाता है।

7. **इस संदर्भ में यदि कोइ पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)**
   – पत्रांक – SHSB/Erc/41/07/7623 दिनांक 18.09.2008
   – पत्रांक – SHSB/Erc/41/07/6144 दिनांक 10.05.2008

8. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम**
   – डा० ए० के० तिवारी

9. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर**
   – 9470003026

वित्तीय दिशा निर्देशन

1. **कार्यक्रम का नाम** – पुराने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द में स्टाफ के लिए अवासीये क्वाटर का निर्माण।

2. बजट/एफ०एम०आर० **शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)**
   – पी० एच० सी० का निर्माण

3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
   – 2.2

4. **कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)**
   – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़िकरण हेतु राज्य के पुराने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ के लिए अवाशिये क्वाटर का निर्माण कार्य कराया जाना है

5. **इकाई राशि (रू० लाख में)**
   – कुल लागत 30 लाख (तिस लाख रुपया) प्रति स्टाफ अवासिय क्वाटर।

6. **वित्तीय दिशा निर्देशन**
   – इस राशि के द्वारा पुराने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अवाशिये क्वाटर का निर्माण कार्य कराया जाना है। यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा कराया जाता है।

7. **इस संदर्भ में यदि कोइ पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)**
   –

8. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम**
   – डा० ए० के० तिवारी

9. **संबंधित कार्य{म अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर**
   – 9470003026

वित्तीय दिशा निर्देशन

1. कार्यक्रम का नाम – अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
– पी० एच० सी० का निर्माण

3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
– 2.2

4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़िकरण हेतु राज्य में 1544 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सृजन एवं निर्माण कार्य करना है। प्रथम चरण में राज्य के 662 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। यह कार्य भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा कराया जाता है।

5. इकाई राशि (रू० लाख में)
– 53.15 लाख (तिरप्पन लाख पंद्रह हजार रुपया)

6. वित्तीय दिशा निर्देशन
– इस राशि के द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुरूप ही करना है।
(a) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा कराया जाता है।

7. इस संदर्भ में यदि कोइ पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
– पत्रांक संख्या – SHSB/Erc/41/07/6145 दिनांक 10.05.2008
– पत्रांक – SHSB/Erc/41/07/7622 दिनांक 18.09.2008

8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम
– डा० ए० के० तिवारी

9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर
– 9470003026

वित्तीय दिशा निर्देशन

1. **कार्यक्रम का नाम** – समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का IPHS Norms के अनुसार उत्क्रमण।

2. बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
   – समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन IPHS मानदंड के अनुरूप

3. बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
   – 2.3

4. **कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)**
   – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़िकरण हेतु राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को 30 शयया वाले समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किया जाना है।

5. **इकाई राशि (रू० लाख में)**
   – कुल लागत 40 लाख (चालीस लाख रुपया) प्रति CHC.

6. **वित्तीय दिशा निर्देशन**
   – इस राशि के द्वारा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उत्क्रमण का कार्य IPHS मानदंड के अनुसार कराया जायगा । यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराई जाएगी ।

7. **इस संदर्भ में यदि कोइ पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)**
   – पत्रांक संख्या – SHSB/ED/03/06/7814 दिनांक 10.10.2008

8. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम**
   – डा० ए० के० तिवारी

9. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर**
   – 9470003026

9. **कार्यक्रम का नामः–** Infrastructure service improvement as per IPHS and ISO Certification

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)– Infrastructure and service improvement as per IPHS in DH & SDH hospitals and for accreditation or ISO:9001 certification for 48 (DH+SDH)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)–B2.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)–

राज्य के 25 जिला अस्पताल, 23 अनुमंडलीय अस्पताल एवं 5 सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल यथा राजवंशीनगर अस्पताल, राजेन्द्रनगर अस्पताल, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल एवं गार्डेनर रोड अस्पताल के IPHS के स्तर पर सुदृढ़ीकरण/उत्क्रमण किया जाना है। राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से इस कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म को hire किया गया है जो इन अस्पतालों के आधारभूत संरचना का विकास, Manpower, उपकरण आदि के संबंध में Plan बनाकर समर्पित करेगा।

इसके अलावा जिले के DH एवं SDH का ISO: Certification/Accreditation किया जाना है। SHSB GoI को जिला एवं SDH के accreditation/ISO: Certification के लिए Agency चयनित करने के लिए अनु रोध की है। जिलों को Agency का नाम सुचित कर दिया जायेगा। Certification का कार्य शुरू होने पर, DHS को सम्बन्धित Agency को भुगतान कर देना होगा।

Budget

Activity	Amount (In Rs.) Unit Cost
Strengthening/Upgradation of District Hospitals, Sub-Divisional Hospitals and Super-Specialty Hospitals as per IPHS Standard	3,40,00,000/-
Accreditation/ISO certification for 48 (District Hospitals + SDH) x Rs. 20.00 lakhs	9,60,00,000/-
कुल–	13,00,00,000/-

इकाई राशि (रू0 लाख में)– 23 जिला अस्पतालों के लिए प्रति जिला – 14.79 लाख,

38 जिला एवं 10 अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए प्रति अस्पताल–**20.00 लाख रू0**

वित्तीय दिशा निर्देशन–

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर

प्रशासी पदाधिकारी

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– ANM/GNM प्रशिक्षण स्कूलों का उत्क्रमण

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या–B. 2.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण–ANM/GNM प्रशिक्षण केंद्र का उत्क्रमण (Civil Work, Minor repair, Plumbing, Minor Purchase) एक अनिवार्यता है ताकि ANM प्रशिक्षु को उचित वातावरण मिले तथा अपने कार्यों में दक्ष हो सके ।

इकाई राशि (रू० लाख में)–Rs.15929212/-per ANM/GNM

वित्तीय दिशा निर्देशन–इस हेतु Civil work, repair तथा Minor purchase के लिए राशि विमुक्त की जा रही है ।

AUXILLARY NURSING & MIDWIFERY SCHOOL & GNM SCHOOL SUMMARY OF COST						
Sl. No.	ITEM	School	Hostel	Residential Accommodation		Gran Tota
				Teaching Staff Quarters	Non-Teaching Staff Quarters	
Upgradation of infrastructure of 1 ANM/GNM school sper Feedback ventures study						
1	CIVIL WORK	2717875	4757054	2592467	2592467	126598
2	ELECTRICALS	193839	269126	245830	245830	954
3	P.H.E.	138477	239779	211416	211416	801
4	TOTAL	3050191	5265959	3049713	3049713	144415
5	ADD 10% FOR ADMINISTRATIVE AND SUPERVISION CHARGES (	305019	526596	304971	304971	1441
6	ADD 0.5% FOR CONTINGENCY	15251	26330	15249	15249	72
	TOTAL for 1 ANM school	3370461	5818885	3369933	3369933	15929
	GRAND TOTAL (for 21 ANM and 6 GNM Schools)					43008
	Amount proposed for release initially for Infrastructure and subject to utilization further release may be done *					60022
Strengthening of Nursing cell in the GoB						5000
Hiring of additional faculty for all ANM and GNM schools						5000
GRAND TOTAL						70022

** UNICEF to provide for equipments, teaching aids and furnitures*

मूल्यांकन –इसके माध्यम से FRU में वर्ष में कभी भी मुख्य चार चीजों की स्थिति की खराब नहीं होनी चाहिए ।

5. 24 घंटे विधुत आपूर्ति
6. 24 घंटे पेय जल आपूर्ति
7. शौचालय की साफ–सफाई
8. FRU परिसर की साफ–सफाई

इन सभी बिन्दुओं के लिए परिभाषा, मापदंड इसे जांच करने की प्रणाली एवं इसके जांच करने के अधिकारी की सूची राज्य स्वास्थ्य समिति शीघ्र ही सभी इकाईयों को प्रेषित कर रही है। इस प्रपत्र के माध्यम से विशलेषित तथ्यों के आधार पर ही उपर्युक्त राशि के भूल्याकन किया जायेगा। FRU में यह कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद Block Health Manager कार्य के पूर्व कार्य के पश्चात् की तस्वीर तिथि के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के Server पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० वर्षा सिंह, सलाहकार–एम०सी०एच०
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर– 0612-3244034,9470003013

कार्यक्रम का नामः वार्षिक रखरखाव।

गतिविधि का उद्देश्य	:	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साफ-सुथरा, मरम्मति, जल एवं विद्युत इत्यादि व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु होने वाले अतिआवश्यक छोटे-छोटे खर्चो की पूर्ति कर संस्थान को व्यवस्थित रखना।	
गतिविधि किसके द्वारा की जाएगी		रोगी कल्याण समिति के द्वारा	
गतिविधि का समय		आवश्यकतानुसार पुरे वर्षभर	
गतिविधि किस स्तर पर की जायेगी		जिला अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
गतिविधि किस द्वारा क्रियान्वित की जायेगी		रोगी कल्याण समिति	
परिणाम निष्कर्ष		संस्थान के व्यवस्थित होने से संस्थान पर मरीजों को विश्वास बढ़ेगा जिससे मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी जिससे संस्थान पर चलाये जा रहे जनोपयोगी कार्यक्रमों को बल मिलेगा	
चेकलिस्ट	:		
ईकाई लागत		1. प्रतिवर्ष रूपये 1,00,000/- प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल 2. प्रतिवर्ष रूपये 5,00,000/- प्रति जिला अस्पताल एवं अनुमण्डलीय अस्पताल 3. वित्त प्रबंधक के द्वारा	
वित्तीय मार्गदर्शन		1. रोगी कल्याण समिति के द्वारा रूपये 15,000/- तक व्यय करने के लिए स्थानीय स्तर पर खर्च किया जा सकता हे। 2- रूपये 15,000/- से 100,000 खर्च के लिये रोगी कल्याण समिति द्वारा कोटेशन प्राप्त कर खर्च किया जायेगा। 3- रूपये 100,000 से अधिक के लिये रोगी कल्याण समिति के द्वारा विधिवत निविदा आमंत्रण के पश्चात् खर्च किया जायेगा 4- NRHM-B (Flexipool) FMR Code B.2.6	